

FORM-IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों की धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्राकृ

1	परियोजना और :-	
i.	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अधिष्ठित है -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (विष्णु), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा वस्तर जिला के वस्तर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑस्टिकल कायदर केवल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि 5.872 है. एवं राजस्व वनभूमि 2.474 है. कुल वनभूमि रकबा 8.346 है. प्रस्तावित है।
ii.	अपेक्षित वनक्षेत्र का सदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	वस्तर वनमंडल - 8.346 है. संरक्षित वन 3.661 है. आरक्षित वन 2.211 है. राजस्व वन 2.474 है.
iii.	परियोजना की कुल लागत -	54 करोड़ 90 लाख
iv.	परियोजना की वनक्षेत्र में लगाने का वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनका दर्शाते हुए और नामांकित करने के कारण बताए जाऐ -	वस्तर जिला के वस्तर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑस्टिकल कायदर केवल बिछाने हेतु भूमि कि गई वनभूमि न्यूनतम है। इसमें वृक्ष विवेचन नहीं होना है तथा तकनीकी दृष्टिकोण से अत्यंत उपयुक्त है। इस परियोजना में समस्त परतुओं को जांचने के उपरान्त निकट निकल कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।

v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षति क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं -	आवश्यक नहीं है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के आबोदित क्षेत्र कागरे घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अन्तर्गत आता है।	
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना /स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का सदवार व्यौरा - बस्तर वनमंडल - 8.346 है. सरक्षित वन 3.661 है. आरक्षित वन 2.211 है. राजस्व वन 2.474 है.	
viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियाँ व प्राणीजाल की प्रजातियाँ -	आवश्यक नहीं है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	आवश्यक नहीं है।
x	प्रस्ताव के संलग्न क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्ति का व्यौरा -	
!	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नहीं है।
!!	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यक नहीं है।
!!!	विस्थापित पुनवास योजना -	आवश्यक नहीं है।
6	क्षतिप्रकरक वन स्कीम के व्यौरे -	

!	क्षतिपूर्क वन रोपण के लिए पहचान किया गया और वनक्षेत्र अवकमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्से की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार -	आवश्यक नहीं है।
!!	क्षतिपूर्क वन रोपण के लिए पहचान किया गया वनक्षेत्र / अवकमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र -	आवश्यक नहीं है।
!!!	रोपण की जाने वाली प्रजातियाँ कार्यान्वयन एजेंसी, समय सँदी जगत बांधा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम -	आवश्यक नहीं है।
iv	क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय -	आवश्यक नहीं है।
v	वन रोपण के लिए क्षतिपूर्क वन रोपण हेतु पहचान किया गया क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में संक्षिप्त प्रालिकाशी से प्रमाण-पत्र (किस्ती ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किया जाये कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है।
vi	क्षतिपूर्क वन रोपण के लिए वनोत्तर भीम उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र -	आवश्यक नहीं है।
vii	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारेषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
	a. पारेषण लाइन की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाइन की लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	c. मार्ग का अधिकार -	आवश्यक नहीं है।

	d. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	f. पारेषण टावरों की ऊंचाई -	आवश्यक नहीं है।
7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	
!	कुल आवाह क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
!!	कुल कमान क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
!!!	कुल जलाशय स्तर -	आवश्यक नहीं है।
iv	उच्च बाढ़ स्तर -	आवश्यक नहीं है।
v	सूनातम प्राप्ति स्तर -	आवश्यक नहीं है।
vi	परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का व्यौरा (वर्गमी, कृषि की गई भूमि, चारपाई भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) -	आवश्यक नहीं है।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
viii	पूर्व जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
ix	पूर्व जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
x	पूर्व जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझौली व बड़ो परियोजनाओं के लिये)	आवश्यक नहीं है।
xi	सूनातम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
xii	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।

!!!x	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में -	आवश्यक नहीं है।
8	सड़क / रेल लाइनों के बारे में ब्यौरे -	आवश्यक नहीं है।
9	केवल सड़क / लाइनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
!	पट्टी की अधिलेखित, लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
!!	सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
!!!	पट्टे बनाई जा चुकी सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	आवश्यक नहीं है।
!	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अधिलेखित वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
!!	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -	आवश्यक नहीं है।
!!!	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज / कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार -	आवश्यक नहीं है।
iv	खनिज / कच्चे धातु का वार्षिक खनिज / कच्चे धातु का अनुमानित उत्पादन -	आवश्यक नहीं है।
v	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान / भूमिगत)	आवश्यक नहीं है।
vi	वर्षाबद्ध सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
vii	विभिन्न क्षेत्र में खनन कार्यों किया जायेगा उसका प्लान -	आवश्यक नहीं है।

viii	घट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जाये -	आवश्यक नहीं है।
ix	नियुक्त की जाने वाली अभिकर्षों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
x	निम्नलिखित के लिये अधिष्ठित वनभूमि का क्षेत्रफल -	आवश्यक नहीं है।
a. खनन -		आवश्यक नहीं है।
b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण	-	आवश्यक नहीं है।
c. अधिभार को जमा करना -		आवश्यक नहीं है।
d. औजारी एवं मशीनों का भण्डारण	-	आवश्यक नहीं है।
e. भवनों, बिजलीघरों, कार्याशालाओं आदि का निर्माण		आवश्यक नहीं है।
f. सड़क, आवास, कालोनिया -		आवश्यक नहीं है।
g. सड़क/रेल्वे मार्ग/रज्जु मार्ग का निर्माण		आवश्यक नहीं है।
h. अधिष्ठित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना		आवश्यक नहीं है।
xi	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित निम्न गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर श्रृंखला/स्थानित न किये जाने के क्या कारण है	आवश्यक नहीं है।
xii	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।

xiii	बारहमासी नदियों के मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दृष्टि -	आवेदित क्षेत्र कानूर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 10 वर्ग कि. मी. के अन्तर्गत आता है।
xiv	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं है।
xv	भूमिगत खनन कार्यों में अधिवित लब्धा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव -	आवश्यक नहीं है।
11	लगातार लाभ विरलेषण -	आवश्यक नहीं है।
12	क्या पयविरण स्वीकृति/अधिवित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अधिवित व्यौर प्रस्तुत कर दिये गये हैं (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो -	नहीं।
	a. शुरू होने की तारीख सहित उसके व्यौर -	नहीं।
	b. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी -	नहीं।
	c. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्रवाई -	नहीं।
	d. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है -	नहीं।
14	कोई अन्य सूचना -	नहीं है।

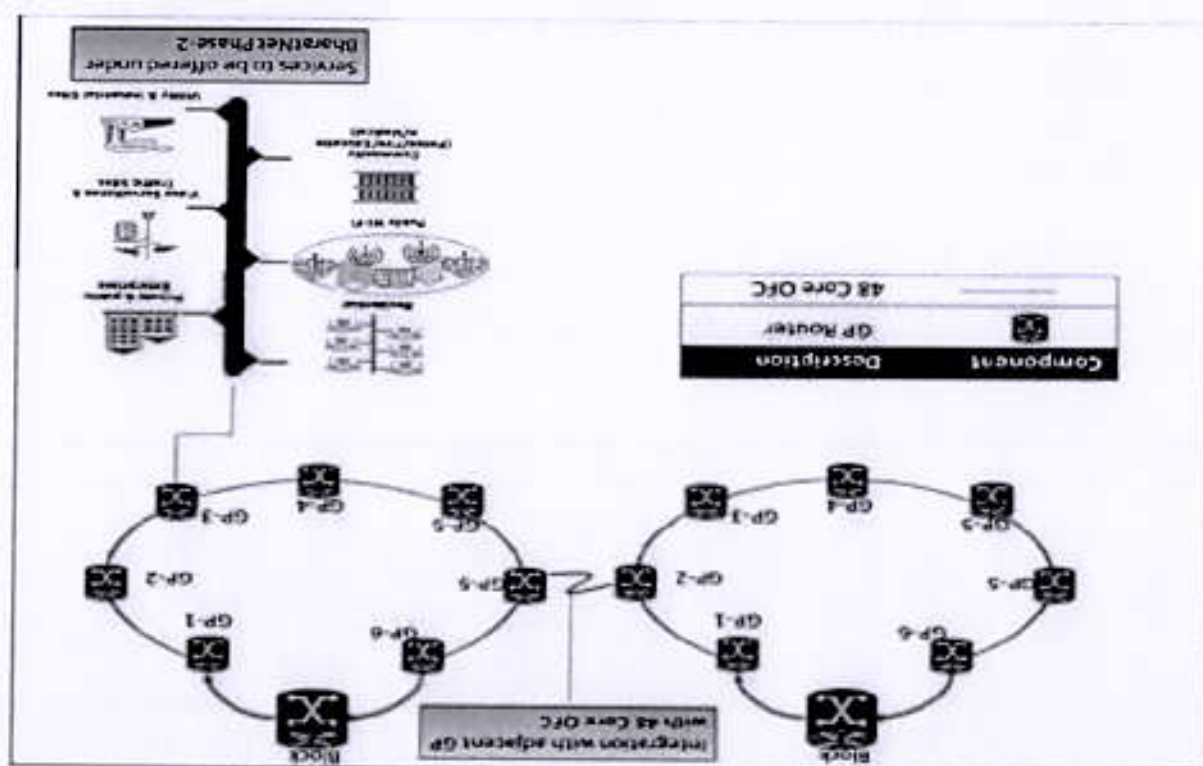
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के बारे-	वेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट फेस-1" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यालयन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (पिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा वस्तर जिला के वस्तर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑस्टिकल कायवर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि 5.872 हे. एवं राजस्व वनभूमि 2.474 हे. कुल वनभूमि रकबा 8.346 हे. प्रस्तावित है।
1.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद -	प्रस्तावित वनक्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अन्तर्गत ऑस्टिकल कायवर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासीयों और पिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव -
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव -	a. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति - b. आदिवासीयों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका -
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विधिष्ट सिफारिशें -	

प्रमोशन सोसाइटी
वस्तर वनमण्डल, रायपुर
05/



प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग की गई वनभूमि न्यूनतम है। प्रस्तावित क्षेत्र कागज धाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है।

1. नवंबर 2001 को गठित छत्तीसगढ़ भारत का 29 वां राज्य है, जो 135,194 वर्ग किमी के क्षेत्रफल फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 10 वां सबसे बड़ा राज्य है और लगभग 25.541 मिलियन, छत्तीसगढ़ की आबादी है जो देश में 17 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का 12% वन छत्तीसगढ़ में है और राज्य की 44% भूमि वनों के अंतर्गत है। हरित राज्य छत्तीसगढ़ में भारत के सबसे घने जंगल हैं, समृद्ध जन्तुजीव हैं, सबसे अमीर जैव विविधता में से एक के रूप में इसकी पहचान है। छत्तीसगढ़ का एक लिहाई जनसंख्या जनजातियाँ की है, ज्यादातर उत्तर और दक्षिण में घने जंगलों वाले इलाकों में है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परिचयाना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑस्टिकल



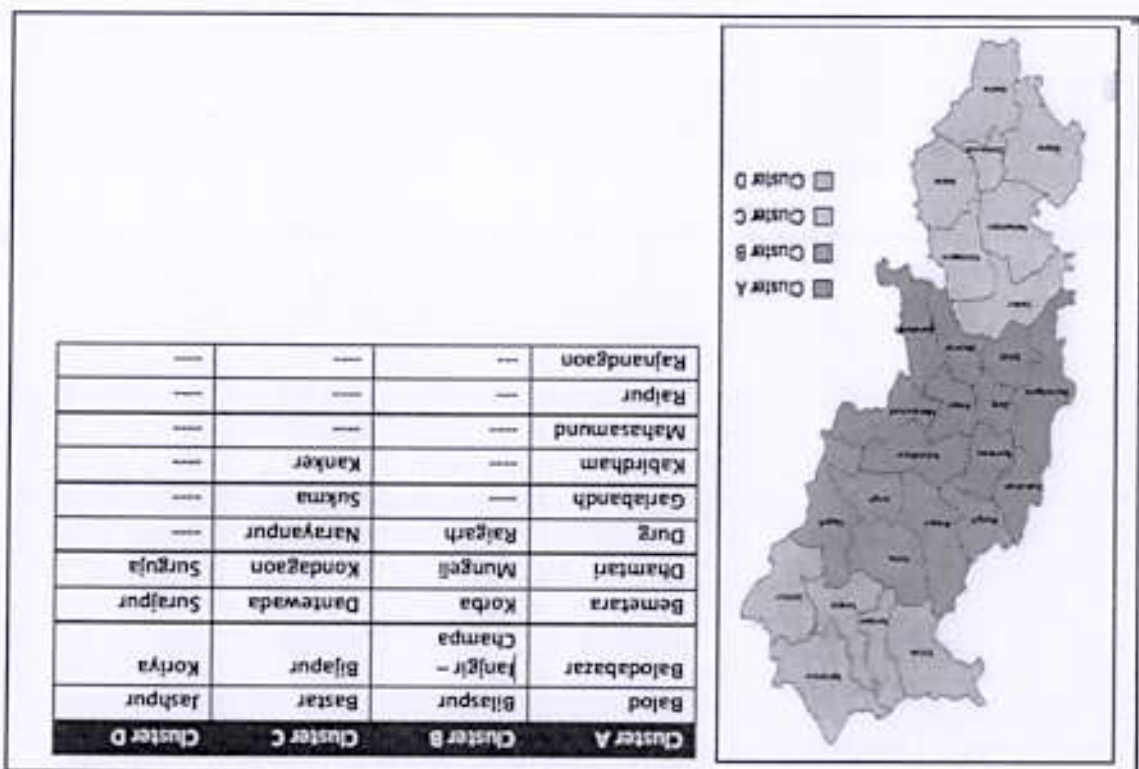
भारतनेट, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है एक दूरसंचार अवसरदाना प्रदाता है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापन किया जाता है। भारत में दूरसंचार को बेहतर बनाने और डिजिटल इंडिया के अभियान तहत तक पहुंचने के लिए लगभग 625,000 गांवों को 250,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। भारतनेट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। यह नोक इंडिया पहले के तहत बनाया गया है जिसमें विदेशी कंपनियों की भागीदारी नहीं है।

හිට ප්‍රචාරය වන ප්‍රවේශය

8 - കിഴക്കു ചെറു കര

काइबर केवल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

परियोजना को क्लस्टर दृष्टिकोण में लागू किया जाएगा जिसमें राज्य के समस्त जिले समाविष्टित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है।



छत्तीसगढ़ इन्फोकम प्रमोशन सोसाइटी (CHIPS), छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रवर्तित एक पब्लिक सोसाइटी है जो भारत-नेट परियोजना के लिए नीडल एजेंसी और प्रमुख प्रस्तावक है। जिसकी जिम्मेदारी परियोजना के क्रियान्वयन की स्थानीय व्यवस्था करना, परियोजना का निष्पादन करना, परियोजना की मॉनिटरिंग करना तथा परियोजना के सम्बन्ध में कार्यकारी निर्णय लेना होगा।

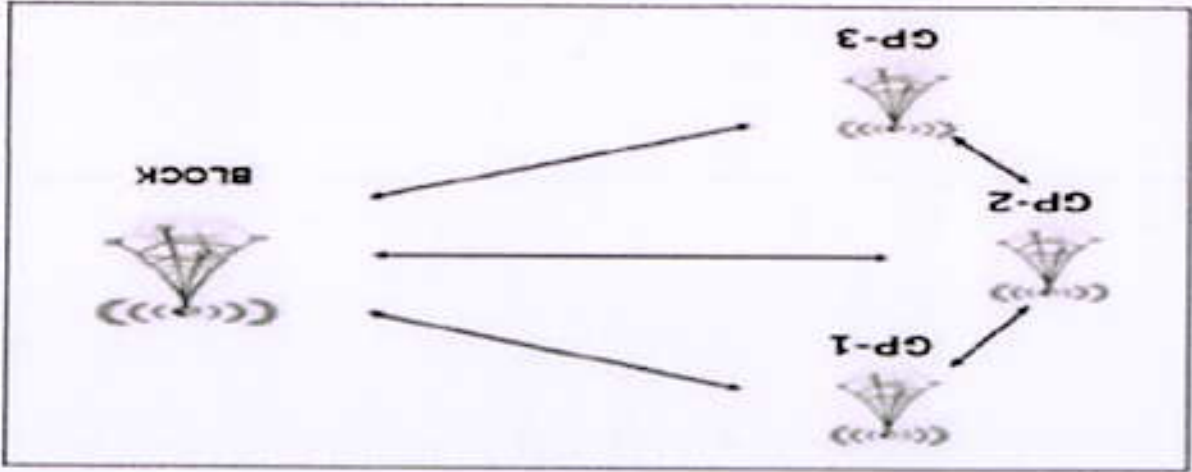
छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ इन्फोकम प्रमोशन सोसाइटी (CHIPS) द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल काइबर केवल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।



रायपुर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विप्री)
वास्तु - संयुक्त मुख्य कार्यालय अधिकारी (आवक)
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी



मौजूदा मौजूदा राईट-ऑफ-वे की अनुमति प्रदान की गई है।
कुल 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर कबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन की निम्नलिखित रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतों को शामिल करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया करने हेतु 'मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' को 'कार्यान्वयन सहभागी' नियुक्त किया गया है।
जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकरण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त



Point of Presence	Quantity	Prerequisites
GP POPs	5,987	The space for the GP POP shall be provided by CHIPS at the Panchayat Bhawan. The MSI shall provide the necessary infrastructure for fibre management system, rack/s, redundant power supply, networking equipment and proper earthing. At places where space is not available at Panchayat Bhawan, the MSI shall coordinate with CHIPS representative to seek clarity for the alternate location of the POP
Block POPs	85	The space for the POPs at Block level shall be provided at SWAN POP at BHO, wherein CHIPS shall provide the necessary air-conditioning, raw power and backup for the Active Network components

जनसंख्या अधिकारी
 बस्तर जनमण्डल, जगदलपुर
 जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोकॉम प्रमोशन सोसाइटी (बिस्), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर जिला के बस्तर जनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बकावड एवं जगदलपुर ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ़ के अन्तर्गत ऑस्टिकल कायदर केबल बिछाने हेतु प्रभावित प्रभावित जनसंख्या 5.872 है. एवं राजस्व जनसंख्या 2.474 है. कुल जनसंख्या रकबा 8.346 है. का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

अधिनियम जन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (पृष्ठ I से IV तक)

1.	परियोजना का नाम	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत-भारत प्रोवोक फंड - II" के अन्तर्गत वस्त्र विभा के वस्त्र वनमजदल क्षेत्रों में वकावण एवं जगदलपुर ब्लॉक के अखीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑटोमेटिक फायवर केवल विमान कक्ष है			
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	संयुक्त मुख्य कार्यालय अधिकांश, छत्तीसगढ़ इन्फोक प्रमोशन सोसाइटी (पि.स), रायपुर, छत्तीसगढ़			
3.	शेयर वॉलिकी कार्य जिस हेतु वनमजदल की	8.346 हेक्टेयर			
4.	आवेदक क्षेत्र की स्थिति	जिला	वस्त्र	वनमजदल	परियोजना स्थल
5.	वनमजदल का विवरण परिधि/ विकासखण्ड का नाम	वस्त्र का नाम	कक्ष क्र. /खस्र क्र.	आवेदक क्षेत्रफल (हे. मी)	
	क. आवधिक वन		1329	0.032	
			1330	0.020	
			1334	0.079	
			1334	0.037	
			1336	0.004	
			1336	0.180	
			1331	0.106	
			1332	0.093	
			1333	0.093	
			1333	0.115	

Էնթրոփ Լանշիթ 19 Դեկտեմբեր Է

Նա Բրաուն Բրե Էլե Դեպ Բոյն Բրաուն 0861 Դեկտեմբեր Լանշիթ Է

 ε -KdV14 - കുറുകെ അല്പം കൂടെ

96

ସାଧାରଣ (II)	ନିବାସଭାଗୀ	1290P	0.102
	ସମସ୍ତ (ସ) ସ.ସ.	1282P	0.025
	ସମସ୍ତ (ସ) ସ.ସ.	1255P	0.009
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1256P	0.036
		1257P	0.132
	ସମସ୍ତ (ସ) ସ.ସ.	1260P	0.012
	ସମସ୍ତ (ସ) ସ.ସ.	1262P	0.053
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1248P	0.135
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1248P	0.035
		1249P	0.070
		1249P	0.064
	ସମସ୍ତ (ସ) ସ.ସ.	1250P	0.024
		1250P	0.024
	କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ.ସ.	1251P	0.030
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1274P	0.058
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1266P	0.037
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1266P	0.127
		1267P	0.038
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1268P	0.018
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1270P	0.026
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1271P	0.019
	କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ.ସ.	1295P	0.016
	କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ.ସ.	1299P	0.058
	କମ୍ପାଉଣ୍ଡ (ସ) ସ.ସ.	1236P	0.084
	କମ୍ପାଉଣ୍ଡ (ସ) ସ.ସ.	1239P	0.030
	କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ.ସ.	1240P	0.035
		1307P	0.020
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1308P	0.045
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1319P	0.029
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1319P	0.036
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1319P	0.066
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1325P	0.047
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1275P	0.025
	ସମସ୍ତ ସ.ସ.	1280P	0.044

98

66

102

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कुल योग :-	8.346 हेक्टर	
	Total :-	
अलग-अलग	499	0.004
	501	0.015
	501	0.02
	590/1,2,3	0.025
	590/1,2,3	0.025
	319	0.003
कुल योग :-		
8.346 हेक्टर		

6.	आवंटित क्षेत्र में वर्गों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवंटित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑर्टिकल फायबर केवल विछाने कार्य में वृक्ष विदेहन नहीं किया जाना है। वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।	आवंटित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्थान की स्थिति	अपयोजित।
7.	आवंटित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑर्टिकल फायबर केवल विछाने कार्य में वृक्ष विदेहन नहीं किया जाना है। वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।	आवंटित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्थान की स्थिति	अपयोजित।	आवंटित क्षेत्र की स्थिति
9.	आवंटित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणी में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (विशेष रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यकता नहीं है।	आवंटित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैलमैंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रतियोगित करें।	आवंटित क्षेत्र कांनोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है।	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑर्टिकल फायबर केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वनक्षेत्र विकास के रूप में प्रस्तावित केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु उपलब्ध है नहीं है।
10.	व्या अव्यवस्थित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैलमैंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रतियोगित करें।	आवंटित क्षेत्र कांनोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है।	आवंटित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैलमैंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रतियोगित करें।	आवंटित क्षेत्र कांनोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है।	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑर्टिकल फायबर केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वनक्षेत्र विकास के रूप में प्रस्तावित केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु उपलब्ध है नहीं है।
11.	आवंटित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकास के रूप में प्रस्तावित केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु उपलब्ध है नहीं है।	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑर्टिकल फायबर केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वनक्षेत्र विकास के रूप में प्रस्तावित केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु उपलब्ध है नहीं है।	आवंटित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकास के रूप में प्रस्तावित केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु उपलब्ध है नहीं है।	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑर्टिकल फायबर केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वनक्षेत्र विकास के रूप में प्रस्तावित केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु उपलब्ध है नहीं है।	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑर्टिकल फायबर केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वनक्षेत्र विकास के रूप में प्रस्तावित केवल विछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकास गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु उपलब्ध है नहीं है।

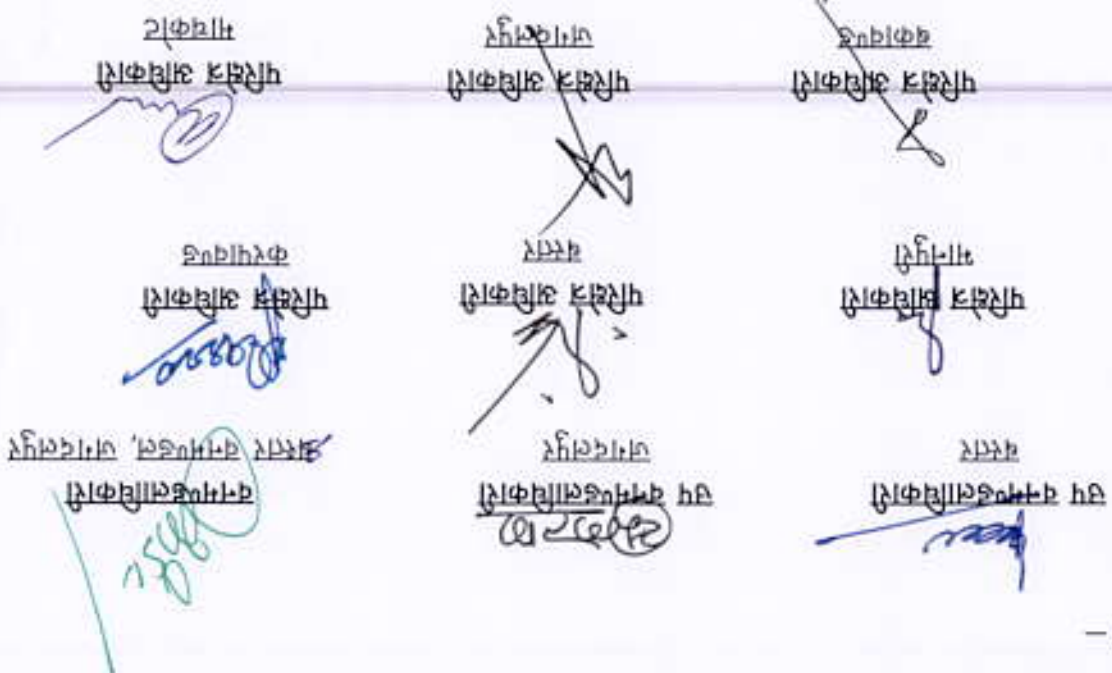
संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।	12.	आवेदति क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।
		नहीं।

प्रमाण - ५क

उपरोक्त जानकारी/विवरण भरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक विमान द्वारा मांग की गई वनभूमि वन प्रबंधन योजना प्रणाली मण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र के आधार पर कांटेरा घाटी राईय उद्यान की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत आता है।

निरीक्षण स्थल -

दिनांक -



1	परियोजना विवरण :-	
!	अर्थात् वनमंजि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट फंड - II के अन्तर्गत संयुक्त मूल्य कायपालन अधिकांसी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (वि.प्र), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा वस्त्र विभाग के वस्त्र वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत वकावड एवं जगदलपुर ब्लॉक के अखीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑटोमेटिक फायर केवल बिजली देव प्रभावित वनमंजि 5.872 हे. एवं राजस्व वनमंजि 2.474 हे. कुल वनमंजि रकबा 8.346 हे. प्रस्तावित है।
!!	1:50000 स्केल मैप पर वनमंजि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संगत है।
!!!	परियोजना की लागत	रु. 54 करोड़ 90 लाख
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का आविष्य	वस्त्र विभाग के वस्त्र वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत वकावड एवं जगदलपुर ब्लॉक के अखीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायें जिससे ग्राम वासियों के पंचायत समिति का कार्य चरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होगे।
v	लागत लाभ विवरण	नहीं
vi	खेती के क्षेत्रों की संभावना	आवश्यकता अनुसार

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन मंजि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार) माग - 1 (प्रयोजन एवम्परी द्वारा भरे जाने के लिये)



राजपुर खलीसागढ़

खलीसागढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (प्रा.)
वास्ते - संयुक्त मूल्या कायपालन अधिकारी (आवेदक)

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी



दिनांक :-
स्थान :-

2	कुल अधिलेख भूमि का उद्देश्यवार विवरण	बस्तर वनमंजिल - 8.346 हे. संरक्षित वन 3.661 हे. आरक्षित वन 2.211 हे. राजस्व वन 2.474 हे.
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है।	नहीं
!	परिवारों की संख्या	नहीं
!!	अनुसूचित जाति / जन जाति परिवारों की संख्या	नहीं
!!!	पूनावास योजना (संलग्न किये जाने के परिवारों की संख्या)	नहीं
4	व्या पयविरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत संजुंरी आवश्यक है? (हां / नहीं)	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और / या दण्ड स्वल्प प्रतिपूरक वनीकरण की लागत की साध-साध राज्य सरकार द्वारा दीवार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र में पुनः वनीकरण की वन बढ़ता (व्यवहारिता संलग्न की जाये)	प्रति पूरक वनीकरण आवश्यक नहीं है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अधिलेख प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा	ब्यौरा संलग्न है।

वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वन मंजि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अजसरा)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या FP/CG/OFC/42567/2019

7. परिवर्तन/स्कीम का स्थान

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii) जिला	बस्तर
(iii) वन प्रभाग	बस्तर वन मंडल जगदलपुर
(iv) वन-प्रभाग के लिए प्रस्तावित वन मंजि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	8.346 है.
(v) वन की कागजी स्थिति	संरक्षित वन - 3.661 है. आरक्षित वन - 2.211 है. राजस्व वन - 2.474 है. शुद्ध - 8.346 है.
(vi) हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.6
(vii) प्रवाह-बार (वैज्ञानिक नाम) और पर्यावरण श्रेणीवार वृक्षों की परिचयना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एक बार एक बार एक बार की परिचयना और एक बार एक बार एक बार की परिचयना	वृक्षों का विवरण नहीं किया जाएगा।
(viii) मूल-क्षेत्र के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर पर्यावरण रिपोर्ट	नहीं।
(ix) वन-प्रभाग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की शीमा से अलग होने पर	प्रस्तावित स्थल वनमंजि है।
(x) क्या कार्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कंठस्थ रिजर्व का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का स्तर और प्रमुख आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का स्तर और प्रमुख वन्यजीव प्राचीन की रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए)	कठोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत आता है।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी स्वीय है।	नहीं।
(xii) क्या कोई पर्यावरण/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रविष्टि और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तत्संबंधी प्राधिकरण से अनुरोधित प्रमाणपत्र के साथ, यदि आवश्यक हो, दें।	नहीं।

[illegible]

13. प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्वेषण लेने के संबंध में उप वन सचिव की विशेष सिफारिश।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत-नेट प्रोजेक्ट फंड - II" के अन्तर्गत संचयक मुख्य कार्यालयन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इकोटेक प्रमोशन सोसाइटी (प्रा.) रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा वस्त्र वनमण्डल अंतर्गत परिसर रायपुरी, वस्त्र, कसपावण्ड, बकावण्ड, जगदलपुर एवं माधकोट के अंतर्गत ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा सर्टिफिकेट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑडिटकल कायदा केवल विजने हेतु प्रमाणित संरक्षित वन 3.661 है, आरक्षित वन 2.211 है, एवं राजस्व वन 2.474 है, कुल 8.346 है, वनभूमि/राजस्व वनभूमि प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र कोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है।

दिनांक:-
स्थान:-

वप वनमण्डल अधिकारी
रायपुर

वप वनमण्डल अधिकारी
रायपुर

वनमण्डल अधिकारी
वस्त्र वनमण्डल, रायपुर

परिसर अधिकारी
रायपुरी

परिसर अधिकारी
रायपुर

परिसर अधिकारी
वस्त्र वनमण्डल

परिसर अधिकारी
वस्त्र वनमण्डल

परिसर अधिकारी
वस्त्र वनमण्डल

परिसर अधिकारी
वस्त्र वनमण्डल

2/20/2020
2/20/2020 12:20 PM

~~අධ්‍යක්ෂ~~
~~ප්‍රාදේශීය ලේකම්~~

~~අධ්‍යක්ෂ~~
~~ප්‍රාදේශීය ලේකම්~~

১৯৮৮
 ১৯৮৮

සිංහල
ලාංකික පිළිවෙල

21222
ഗവർണ്ണർ കമ്മീഷൻ

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

අත්සන
ප්‍රාද්‍යාපනයකට හා
ලේඛන

የፌዴራል ፖሊስ

பாண்டிச்சேரி
தமிழ்நாடு, வாரணாசி

[illegible]

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत-नेट प्रोजेक्ट फंड - १" के अन्तर्गत संयुक्त मूल्या कायदापान अधिकांसी, छत्तीसगढ़ इन्फोकॉटेक प्रमोशन सोसाइटी (पिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर जिला के बस्तर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बकावण्ड एवं जगदलपुर ब्लॉक के अखीनरख ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राइड-ऑफ-वे एवं अन्तर्गत आर्टिकल कायदर केवल विधान में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं। पुरातन स्मारकस्थल का पत्र संलग्न है।

ඒහ භාෂිත උප පාඨ ක්‍රියාපටිපාටි

कार्पालय संग्रहालय
जिला पुरातन संग्रहालय, जगदलपुर
जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़

दूरभाष: 07782-221166, Email id-museumdp221166@gmail.com

कमांक / 67 / सं. / 2020 जगदलपुर, दिनांक. 16/02/2020

प्रति,

वनमण्डलालीकार्पा

वन मंडल बस्तर

जिला बस्तर जगदलपुर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act.1980 proposed for bharat net phase-II baster division "bharat net project which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS block through optic fibre cable laying of approximately 32466 k.m. the laying of option fiber cable of 32466 k.m. will involve 26 district across the state , area 8.346ha- regarding |

पंजीयन कमांक / FP/CG/OF/42567/2019

आपका पत्र क. / क.त.अ. / 1024 / जगदलपुर दिनांक 13.03.2020।

-00-

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि बस्तर वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बकावण्ड एवं जगदलपुर ब्लॉक के अधिनस्त ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग में आर्टिकल कायदर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित मार्ग में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों की जानकारी निरंक प्रेषित है।

पंजीयन कमांक

संग्रहालय

जिला पुरातन संग्रहालय

जगदलपुर जिला-बस्तर छत्तीस



16/03/2020

राजपुर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण (वि.सं.)
वास्तु - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
राजपुर प्रोजेक्ट लिमिटेड



इसी तारतम्य में बस्तर जिला के बस्तर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बकावण्ड एवं जनादलपुर ब्लॉक के अन्तर्गत ऑस्टिकल कायवर केबल बिछाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण के अन्तर्गत ऑस्टिकल कायवर केबल बिछाने हेतु काय सम्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑस्टिकल कायवर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए राजपुर द्वारा इलेक्ट्रिकिटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंजालय, महानदी भवन, नया राजपुर द्वारा को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रमोशन सोसायटी (वि.सं.), राजपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को तहत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण फंड - 11" के तहत

संबन्धित ग्राम पंचायत का अनुरोध पत्र

पृष्ठ क्रमांक - 13

Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Allgari, Jorbagh Road
New Delhi - 110 001
Dated: 28th October, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),

All State / Union Territory Governments

Sub: Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 - ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 03.08.2009 wherein this Ministry issued detailed guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

In consideration of representations received from Ministries in the Central Government, this Ministry after obtaining concurrence of the Ministry of Tribal Affairs informed the States and Union Territories vide letter of even number dated 5th February, 2013 that the proposals seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for projects like construction of roads, canals, laying of pipelines/ optical fibres and transmission lines etc, where linear diversion of use of forest land in several villages are involved, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities are being affected, are exempted from the requirement of obtaining consent of the concerned Gram Sabha(s) as stipulated in clause (c) read with clause (e) and clause (f) in second para of this Ministry's said letter dated 03.08.2009.

This Ministry after further examination of the matter observed that in case of plantations which were notified as "forest" on a day less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, no forest rights are likely to be recognised, even if the process stipulated in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and the rules framed thereunder for recognition and vesting of forests rights is initiated and completed. The reasons for the same are as below:

30/11/14

(i) As per the clause (o) of the Section 2 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, no person residing in such forests will be eligible to be recognised as Other Traditional Forest Dweller (OTFD).

(ii) Such villages will therefore, not have any person belonging to both the categories, viz. Scheduled Tribes and OTFD, whose rights can only be recognized over the forest land in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Question of recognition of forest rights on such forests will thus not arise.

Accordingly, I am directed to say that in further modification of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009, proposals seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of plantations which were notified as "forest" on a day less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2011, are exempted from the requirement of intimation and completion of process for recognition and vesting of forest rights of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers as stipulated in clause (a), read with clause (d) and clause (g) in second para of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009. In such cases a certificate from the concerned District Collector to the effect that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2011 and the Census-2011, will only be sufficient to meet requirement of clause (a), read with clause (d) and clause (g) in second para of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009.

This issues with approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,
(H.C. Chaudhary)
Director

Copy to:-

1. Prime Minister's Office (*Kind attn:* Shri Santosh D. Valdiya, Director), North Block, New Delhi.

2. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.

3. Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.

4. Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.

5. Secretary, Ministry of Coal, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.

6. Chairman, Railways Board, Rail Bhawan, New Delhi.
7. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, Transport Bhawan, New Delhi.
8. Secretary, Ministry of Power, Government of India, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
9. Chairman, Railways Board, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
11. Principal Secretary (Forests), all State/UT Governments.
12. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
13. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
14. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), Government of India (GoI).
15. Joint Secretary, Impact Assessment Division, MoEFCC, GoI.
16. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEFCC, GoI.
17. Director, Regional Offices Headquarters Division, MoEFCC, GoI.
18. Sr. Director (Technical), NIC, MoEFCC, GoI with a request to place a copy of this letter on website of this Ministry.
19. Sr. PPS to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, GoI.
20. Sr. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEFCC, GoI.
21. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEFCC, GoI.
22. PS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEFCC, GoI.
23. Guard File.

(H.C. Chaudhary)
Director

जिले की कुल वन भूमि (रकबा है. मी)

वस्तर जिले के अंतर्गत वस्तर वनमण्डल, जगदलपुर की कुल वन भूमि निम्नानुसार है :-

1.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4029.980 वर्ग कि०मी०
2.	जिले का वन क्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र
	आरक्षित वन	1083.761 वर्ग कि०मी०
	संरक्षित वन	661.326 वर्ग कि०मी०
	असंयोजित वन	466.720 वर्ग कि०मी०
	योग:-	2211.807 वर्ग कि०मी०

वन मण्डल अधिकारी

वनमण्डल वस्तर, जगदलपुर

पत्र मजदुरिकादी

		पत्र :-	963.765	
14	निदेशक एस.आर्.डी. (एम.एस.डी. ऑ.आर्.डी. रायपुर (उ.ग.)	कार्यालय मदन एवं आवासीय मदन निर्माण हेतु (समाप्त वगैरे)	0.232	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-4/2012/10-2 दि. 10.03.2014
15	प्रतिष्ठित अमीरक बरार	कम कामांक 1402पी से प्रतिष्ठित वीकी निर्माण हेतु (ग्राम वीरिया)	1.000	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-4/2014/10-2 दि. 10.04.2015
16	प्रतिष्ठित अमीरक बरार	कम मजदुर रायपुरा के निर्माण (ग्राम वीरिया)	1.000	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-21/2015/10-2 दि. 30.12.2015
17	प्रतिष्ठित अमीरक बरार	अतिरिक्त मजदुरा के निर्माण (ग्राम वीरिया)	2.000	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-20/2015/10-2 दि. 30.12.2015
18	प्रधान संचालक विभाग	द्वितीय, मजदुरा वीरिया प्रसक्तक के निर्माण हेतु	0.405	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-21/2014/10-2 दि. 12.08.2014
19	प्रतिष्ठित अमीरक बरार	कठिणतम कम मजदुरा के निर्माण (ग्राम वीरिया)	0.740	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-17/2015/10-2 दि. 20.04.2016
20	कार्यालय अतिरिक्त (विभाग) अतिरिक्त रायपुरा निर्माण वगैरे मजदुरा के निर्माण (ग्राम वीरिया)	220/132/33 के निर्माण हेतु (ग्राम वीरिया)	2.680	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-39/2016/10-2 दि. 28.12.2016
21	प्रतिष्ठित अमीरक बरार	कम मजदुरा के निर्माण (ग्राम वीरिया)	0.809	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-41/2016/10-2 दि. 22.02.2017
22	प्रतिष्ठित अमीरक बरार	कम मजदुरा के निर्माण (ग्राम वीरिया)	0.500	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-43/2016/10-2 दि. 25.02.2017
23	एम.एस.डी.सी. नगरपालिका	ग्रामीण वीरिया निर्माण	26.136	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-43/2016/10-2 दि. 25.02.2017
24	मजदुरा निर्माण वीरिया निर्माण वीरिया निर्माण	मजदुरा वीरिया निर्माण	45.629	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-43/2016/10-2 दि. 10.07.2017
25	कार्यालय अतिरिक्त 400 मजदुरा (उ.ग.)	200 के निर्माण हेतु (ग्राम वीरिया)	23.535	उ.ग. शासन एवं विभाग मजदुर रायपुर को पत्र क्र. /एफ-5-43/2016/10-2 दि. 10.07.2017

ਬ.ਸ.ਅ.-1980 ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਕੇ ਰੀਫੋਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸੇਂ ਫੁਲੀ ਸ਼ੇਰੀ ਕੀ ਕੁਲ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਵਾਸਤਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਹੈ.ਸੇ।

ਬਦਲ ਵਾਸਤਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਅਭਿਨਿਯਮ 1980
ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਭਿਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਕੇ ਰੀਫੋਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਹੈ.ਸੇ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਹੈ :-

1	ਬਾਇਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਅਭਿਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ	0.550 ਫੁਲ	F-5-29A/08/10-2 Date 01.09.2018
2	Jagdalpur To Bastanar Underground OFC Line	0.814 ਫੁਲ	GOVT OF CGF No. 05 33/2008/10-2 Date 12-09-2008
3	OFC Line in Security & Research Center	0.030 ਫੁਲ	GOVT OF CGF No. 289 6018/06/10-2 Date 31-01-2007
4	ਬ.ਸ. ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਬਾਇਬਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਬਾਇਬਲੀ ਅਭਿਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ	2.014 ਫੁਲ	ਬ.ਸ. ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਅਭਿਨਿਯਮ ਬਾਇਬਲੀ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ 11.06.2018

ਬਾਇਬਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ
ਬਾਇਬਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਤ

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिसर में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभयारण्य या राष्ट्रीय कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

(उत्तीर्णनाई शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)

प्रस्तावित क्षेत्र कंगौर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है। परन्तु वन्यप्राणी अभयारण्य या राष्ट्रीय कारीडोर न तो प्रस्तावित है न ही स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।



प्रतिकूल अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विभाग
राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभयारण्य या राष्ट्रीय कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

उत्तराखण्ड
प्रतिकूल अधिकारी

उत्तराखण्ड
प्रतिकूल अधिकारी

उत्तराखण्ड
प्रतिकूल अधिकारी

उत्तराखण्ड
प्रतिकूल अधिकारी

उत्तराखण्ड
प्रतिकूल अधिकारी

उत्तराखण्ड
प्रतिकूल अधिकारी

उत्तराखण्ड
प्रतिकूल अधिकारी

उत्तराखण्ड
प्रतिकूल अधिकारी

150



ደስ ያሕን ያድረግልህ ደስ ያሕን ያድረግልህ

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector- Bastar

No. / Q/Reader/ 2019

Dated 30/11/2019

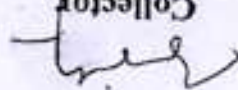
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 5.872 hectares forest land & 2.474 hectares revenue forest land total 8.346 hectares proposed to be diverted in favour of "CEO Chhattisgarh InfoTech Promotion Society (CHIPS) Raipur" for the laying Optical fiber Cable under Bharat Net Project (Bastar district falls within jurisdiction of Badedevda, Badlawand, Bajawand, Chhindgaon, Chhuargaoon, Chohnar Pharsigaon, Girola, Gumdel, Jaibel, Jaitgiri, Karpawand, Kinjoli, Kohakapal, Margaon, Nalpaawand, Pahurbel, Peethapur, Samwa, Soutpur, Sonpur, Suvachond, Tarapur, Tongkongera, Udiyapal village's in Bakawand Tehsil and Aadawal, Alnar, Aamaguda, Babusemra, Bhaluguda, Bhejapadar, Billori, Biranpal, Birinpal, Chechalpur, Chokawada, Chhotemurma, Dhaniyalpur, Dhanpunjee, Dhurguda, Dongam, Ghatpadmur, Halbakachhora, Hatpadmur, Jamawada, Jatam, Kaikagath-cherbaha, Kakarwada, Kalcha, Kawalikala, Khamargaon, Kolawada, Kondawal, Madpal, Manjhiguda, Nangur, Negiguda, Netanar, Niyana, Pandripani, Parpa, Puspai, Sadgud, Sidmud, Sargipal, Tondapal, Turenar, Tusel, Umar village's in Jagdalpur Tehsil.

It is further certified that :-

- (A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.346 hectares of forest area proposed for division. A copy of record of all consultations and meetings of forest right committees and the Sub-Division Level Committee(s), District level committee are enclosed as annexure. (Not Applicable)
- (B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it; (Not Applicable)
- (C) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities. (Not Applicable)

Encl:- As above


Collector
District Bastar

जनसंसाधन विकास विभाग
राज्य-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र
वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र

राज्य-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र
वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र
वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र
वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र



राज्य-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र
वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र
वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र
वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र

राज्य-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र
वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र

वस्त्र-वस्त्र, वस्त्र-वस्त्र

// பதம் //

(01+08) கீழ்க்கண்டவற்றை அடிப்படையில் தரப்பட்ட வினாக்களுக்குரிய சரியான பதிலைத் தேர்ந்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

தமிழக / க / லிசு / 2019

५५

मुख्य कार्यालयन आधुनिकी
व्याप्तिसाध इंद्रकाटक प्रमाणन
सोसायटी रायपुर (छाग)

[illegible]

— : मध्य :- टाल प्रोवोक लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़) का पत्र क्रमांक आनपी-II/वर्गसि /ओएफसी/अनापलि/2019-20/7 दिनांक 10.10.2019।

/ಆವಕಳಿ/ಅನುಬಂಧ/2019-20/7 ದಿನಾಂಕ 10.10.2019।

1999

उपरोक्त विषय-वर्ती संर्चित पत्र का अवलोकन करें। "भारत-नेट प्रोजेक्ट" (A Part of Digital India) के अन्तर्गत आर्टिकल कायमर केवल विद्यार्थी हेतु बरतार वनमण्डल के विकासखंड-बकावड एवं जगदलपुर के प्रस्तावित ग्रामी के मार्ग समानांतर में एकबा 5.872 हे० वनमण्डि एवं एकबा 2.474 हे० खास्व वनमण्डि कुल एकबा 8.346 हे० खास्व व वनमण्डि के शैखानिकी प्रयोजन के लिए अनापलित प्रमाण पत्र बाही नई है। प्रस्तावित ग्रामी के खास्व वन मण्डि का विवरण निम्नानुसार है :-

— हे राजाजिनास लोखण्डा क ह्ये

क्र.	वर्गीकरण	प्राम	खर्चा म.	एकका (रु०)	प्रमापित एकका (रु०)	मद
1	एकादश	बडेद्वारा	717	1.92	0.013	छात्र छात्र की जगल
2	एकादश	बडेद्वारा	722	0.37	0.003	छात्र छात्र की जगल
3	एकादश	बडेद्वारा	727	0.38	0.002	छात्र छात्र की जगल
4	एकादश	बडेद्वारा	750	0.29	0.005	छात्र छात्र की जगल
5	एकादश	बडेद्वारा	266	1.48	0.006	छात्र छात्र की जगल
6	एकादश	बडेद्वारा	267	2.25	0.023	छात्र छात्र की जगल
7	एकादश	बडेद्वारा	324	4.36	0.005	छात्र छात्र की जगल
8	एकादश	बडेद्वारा	324	4.36	0.005	छात्र छात्र की जगल
9	एकादश	बडेद्वारा	326	1.13	0.009	छात्र छात्र की जगल
10	एकादश	बडेद्वारा	326	1.13	0.014	छात्र छात्र की जगल
11	एकादश	बडेद्वारा	354	0.61	0.005	छात्र छात्र की जगल
12	एकादश	बडेद्वारा	355	3.86	0.015	छात्र छात्र की जगल
13	एकादश	बडेद्वारा	414	1.08	0.01	छात्र छात्र की जगल

14	अकादर	अदलावद	414	1.08	0.01	छाँटे झाड़ की जंगल
15	अकादर	अदलावद	416	1.00	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
16	अकादर	अदलावद	416	1.00	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
17	अकादर	अदलावद	417	0.53	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
18	अकादर	अदलावद	417	0.53	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
19	अकादर	अदलावद	428	0.98	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
20	अकादर	अदलावद	428	0.98	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
21	अकादर	अदलावद	500	0.52	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
22	अकादर	अदलावद	500	0.52	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
23	अकादर	अदलावद	26	0.28	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
24	अकादर	अदलावद	238	0.20	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
25	अकादर	अदलावद	239	0.20	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
26	अकादर	अदलावद	240	0.13	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
27	अकादर	अदलावद	241	0.07	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
28	अकादर	अदलावद	617	1.08	0.006	छाँटे झाड़ की जंगल
29	अकादर	अदलावद	829	2.01	0.021	अड़े झाड़ की जंगल
30	अकादर	अदलावद	831	1.63	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
31	अकादर	अदलावद	1485	2.53	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
32	अकादर	अदलावद	1494	2.34	0.003	अड़े झाड़ की जंगल
33	अकादर	अदलावद	1499	1.42	0.008	छाँटे झाड़ की जंगल
34	अकादर	अदलावद	1501	0.31	0.002	अड़े झाड़ की जंगल
35	अकादर	अदलावद	954	0.60	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
36	अकादर	अदलावद	954	0.60	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
37	अकादर	अदलावद	123	2.09	0.001	अड़े झाड़ की जंगल
38	अकादर	अदलावद	124	0.41	0.003	अड़े झाड़ की जंगल
39	अकादर	अदलावद	222	0.64	0.009	छाँटे झाड़ की जंगल
40	अकादर	अदलावद	223	0.33	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
41	अकादर	अदलावद	243	0.87	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
42	अकादर	अदलावद	414	3.48	0.015	अड़े झाड़ की जंगल
43	अकादर	अदलावद	441	44.62	0.022	अड़े झाड़ की जंगल
44	अकादर	अदलावद	223	1.79	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
45	अकादर	अदलावद	234	0.68	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
46	अकादर	अदलावद	417	0.35	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
47	अकादर	अदलावद	211	0.120	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
48	अकादर	अदलावद	3	0.22	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
49	अकादर	अदलावद	135	0.54	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
50	अकादर	अदलावद	74	3.86	0.006	छाँटे झाड़ की जंगल
51	अकादर	अदलावद	75	0.33	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
52	अकादर	अदलावद	185	0.76	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
53	अकादर	अदलावद	85	0.16	0.002	अड़े झाड़ की जंगल
54	अकादर	अदलावद	172	0.37	0.003	अड़े झाड़ की जंगल
55	अकादर	अदलावद	175	0.95	0.004	अड़े झाड़ की जंगल
56	अकादर	अदलावद	177	0.27	0.002	अड़े झाड़ की जंगल

57	अकादर	वीडल	178	0.20	0.002	बई झरु की गंगल
58	अकादर	वीडल	179	1.11	0.003	बई झरु की गंगल
59	अकादर	वीडल	180	6.50	0.009	बई झरु की गंगल
60	अकादर	वीडल	217	1.02	0.007	बई झरु की गंगल
61	अकादर	वीडल	218	0.65	0.005	बई झरु की गंगल
62	अकादर	वीडल	890	1.96	0.009	छाई झरु की गंगल
63	अकादर	वीडल	49	0.19	0.002	छाई झरु की गंगल
64	अकादर	वीडल	69	0.29	0.002	छाई झरु की गंगल
65	अकादर	वीडल	205	0.02	0.001	छाई झरु की गंगल
66	अकादर	वीडल	206	0.04	0.002	छाई झरु की गंगल
67	अकादर	वीडल	208	0.05	0.001	छाई झरु की गंगल
68	अकादर	वीडल	666	2.23	0.016	छाई झरु की गंगल
69	अकादर	वीडल	795	1.93	0.013	छाई झरु की गंगल
70	अकादर	कयपुवड	687	0.32	0.003	छाई झरु की गंगल
71	अकादर	कयपुवड	893	0.41	0.001	बई झरु की गंगल
72	अकादर	कयपुवड	941	0.08	0.001	बई झरु की गंगल
73	अकादर	कयपुवड	950	0.16	0.002	बई झरु की गंगल
74	अकादर	कयपुवड	951	0.25	0.002	बई झरु की गंगल
75	अकादर	कयपुवड	953	0.15	0.002	बई झरु की गंगल
76	अकादर	कयपुवड	994	0.97	0.006	छाई झरु की गंगल
77	अकादर	कयपुवड	1168	1.47	0.011	बई झरु की गंगल
78	अकादर	कयपुवड	1180	0.18	0.004	बई झरु की गंगल
79	अकादर	कयपुवड	1181	0.18	0.002	बई झरु की गंगल
80	अकादर	किलीली	147	1.45	0.017	छाई झरु की गंगल
81	अकादर	किलीली	939	0.30	0.011	छाई झरु की गंगल
82	अकादर	किलीली	422	0.40	0.005	छाई झरु की गंगल
83	अकादर	किलीली	451	0.40	0.003	छाई झरु की गंगल
84	अकादर	किलीली	489	0.07	0.003	छाई झरु की गंगल
85	अकादर	किलीली	502	0.06	0.002	छाई झरु की गंगल
86	अकादर	मालगल	785	1.70	0.004	छाई झरु की गंगल
87	अकादर	मालगल	703/2	0.12	0.005	छाई झरु की गंगल
88	अकादर	मालगल	495	0.63	0.005	छाई झरु की गंगल
89	अकादर	मालगल	524	0.84	0.005	छाई झरु की गंगल
90	अकादर	मालगल	302	0.04	0.002	छाई झरु की गंगल
91	अकादर	मालगल	923	2.95	0.012	छाई झरु की गंगल
92	अकादर	मालगल	1343	18.07	0.019	बई झरु की गंगल
93	अकादर	मालगल	1343	18.07	0.019	बई झरु की गंगल
94	अकादर	मालगल	1465	0.60	0.003	छाई झरु की गंगल
95	अकादर	मालगल	1465	0.60	0.003	छाई झरु की गंगल
96	अकादर	मालगल	1483	0.57	0.005	छाई झरु की गंगल
97	अकादर	मालगल	1483	0.57	0.005	छाई झरु की गंगल
98	अकादर	मालगल	1487	1.13	0.009	छाई झरु की गंगल
99	अकादर	मालगल	1487	1.13	0.009	छाई झरु की गंगल

100	एकदंड	पाइयडल	1514	13.08	0.011	बड़े झरू की जंगल
101	एकदंड	पाइयडल	1514	13.08	0.012	बड़े झरू की जंगल
102	एकदंड	पीठाय	403	0.29	0.002	बड़े झरू की जंगल
103	एकदंड	पीठाय	404	0.71	0.003	बड़े झरू की जंगल
104	एकदंड	पीठाय	408	0.82	0.002	बड़े झरू की जंगल
105	एकदंड	सदरा	839	1.61	0.005	छोटे झरू की जंगल
106	एकदंड	सदरा	840	1.08	0.003	छोटे झरू की जंगल
107	एकदंड	सदरा	848	7.68	0.018	छोटे झरू की जंगल
108	एकदंड	सीनयूर	523	0.26	0.001	छोटे झरू की जंगल
109	एकदंड	सीनयूर	686	1.24	0.003	छोटे झरू की जंगल
110	एकदंड	सीनयूर	909	8.83	0.014	छोटे झरू की जंगल
111	एकदंड	सीनयूर	982	0.37	0.014	छोटे झरू की जंगल
112	एकदंड	सीनयूर	987	0.36	0.001	छोटे झरू की जंगल
113	एकदंड	सीनयूर	988	2.32	0.002	छोटे झरू की जंगल
114	एकदंड	सीनयूर	989	0.47	0.004	छोटे झरू की जंगल
115	एकदंड	सीनयूर	990	5.77	0.005	छोटे झरू की जंगल
116	एकदंड	सीनयूर	997	0.68	0.007	छोटे झरू की जंगल
117	एकदंड	सीनयूर	1121	19.18	0.042	छोटे झरू की जंगल
118	एकदंड	सुधाबाह	46	0.23	0.007	छोटे झरू की जंगल
119	एकदंड	सुधाबाह	103	0.54	0.007	छोटे झरू की जंगल
120	एकदंड	सुधाबाह	115	0.30	0.002	छोटे झरू की जंगल
121	एकदंड	लायूर	18	0.11	0.002	छोटे झरू की जंगल
122	एकदंड	लायूर	266	0.35	0.004	छोटे झरू की जंगल
123	एकदंड	लायूर	778	0.16	0.002	छोटे झरू की जंगल
124	एकदंड	लायूर	843	0.36	0.004	छोटे झरू की जंगल
125	एकदंड	लायूर	850	0.22	0.002	छोटे झरू की जंगल
126	एकदंड	लायूर	985	0.36	0.001	छोटे झरू की जंगल
127	एकदंड	लायूर	999	0.14	0.002	छोटे झरू की जंगल
128	एकदंड	लीनकानिया	288	1096	0.006	बड़े झरू की जंगल
129	एकदंड	लीनकानिया	327	12.25	0.004	बड़े झरू की जंगल
130	एकदंड	रुडियापाल	10	17.650	0.015	छोटे झरू की जंगल
131	एकदंड	रुडियापाल	10	17.650	0.016	छोटे झरू की जंगल
132	एकदंड	रुडियापाल	135/1	0.470	0.004	छोटे झरू की जंगल
133	एकदंड	रुडियापाल	136	0.070	0.002	छोटे झरू की जंगल
134	एकदंड	रुडियापाल	300/1	7.62	0.003	छोटे झरू की जंगल
135	एकदंड	रुडियापाल	321	0.520	0.007	छोटे झरू की जंगल
136	एकदंड	रुडियापाल	321	0.520	0.007	छोटे झरू की जंगल
137	एकदंड	रुडियापाल	327/1	0.520	0.002	छोटे झरू की जंगल
138	एकदंड	रुडियापाल	327/1	0.520	0.002	छोटे झरू की जंगल
139	जंगदलपूर	आरुवाल	182	0.30	0.002	बड़े झरू की जंगल
140	जंगदलपूर	आरुवाल	183	1.47	0.002	बड़े झरू की जंगल
141	जंगदलपूर	आरुवाल	183	1.47	0.003	बड़े झरू की जंगल
142	जंगदलपूर	आरुवाल	183	1.47	0.003	बड़े झरू की जंगल

143	जगदलपुर	आइवाल	499	0.76	0.004	बड़े झाड़ की जंगल
144	जगदलपुर	आइवाल	501	0.23	0.015	बड़े झाड़ की जंगल
145	जगदलपुर	आइवाल	501	0.23	0.02	बड़े झाड़ की जंगल
146	जगदलपुर	आइवाल	590/1,2,3	4.61,4.00/4.00	0.025	बड़े झाड़ की जंगल
147	जगदलपुर	आइवाल	590/1,2,3	4.61,4.00/4.00	0.025	बड़े झाड़ की जंगल
148	जगदलपुर	अलवार	319	0.450	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
149	जगदलपुर	आमगुड़ा	345	0.44	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
150	जगदलपुर	आमगुड़ा	360	0.59	0.007	छोटे झाड़ की जंगल
151	जगदलपुर	आमगुड़ा	390	0.25	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
152	जगदलपुर	आमगुड़ा	412	0.58	0.005	छोटे झाड़ की जंगल
153	जगदलपुर	बाबुलमरा	132	0.28	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
154	जगदलपुर	बाबुलमरा	331	1.03	0.012	छोटे झाड़ की जंगल
155	जगदलपुर	बड़ेमरा	355	3.15	0.008	छोटे झाड़ की जंगल
156	जगदलपुर	मालगुड़ा	36	0.88	0.006	बड़े झाड़ की जंगल
157	जगदलपुर	मालगुड़ा	75	0.34	0.004	छोटे झाड़ की जंगल
158	जगदलपुर	मोवापदर	328	0.27	0.008	छोटे झाड़ की जंगल
159	जगदलपुर	मोवापदर	446	0.98	0.008	छोटे झाड़ की जंगल
160	जगदलपुर	मोवापदर	447	0.52	0.006	छोटे झाड़ की जंगल
161	जगदलपुर	मोवापदर	486	0.10	0.001	छोटे झाड़ की जंगल
162	जगदलपुर	मोवापदर	525	0.19	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
163	जगदलपुर	मोवापदर	542	0.37	0.004	छोटे झाड़ की जंगल
164	जगदलपुर	बिलोरी	82	0.49	0.007	छोटे झाड़ की जंगल
165	जगदलपुर	बिलोरी	97	0.25	0.005	छोटे झाड़ की जंगल
166	जगदलपुर	बिलोरी	239	1.38	0.008	छोटे झाड़ की जंगल
167	जगदलपुर	बिलोरी	265	1.08	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
168	जगदलपुर	बिलोरी	309	0.16	0.004	छोटे झाड़ की जंगल
169	जगदलपुर	बिलोरी	369	0.08	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
170	जगदलपुर	बिलोरी	696	1.05	0.013	छोटे झाड़ की जंगल
171	जगदलपुर	बिलोरी	738	1.99	0.005	छोटे झाड़ की जंगल
172	जगदलपुर	बिलोरी	741	0.20	0.001	बड़े झाड़ की जंगल
173	जगदलपुर	बिलोरी	772	0.38	0.005	छोटे झाड़ की जंगल
174	जगदलपुर	बिलोरी	777	0.11	0.002	छोटे झाड़ की जंगल
175	जगदलपुर	बिलोरी	875	1.50	0.008	छोटे झाड़ की जंगल
176	जगदलपुर	बिलोरी	1063	0.16	0.002	छोटे झाड़ की जंगल
177	जगदलपुर	बिलोरी	1093	0.27	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
178	जगदलपुर	बिलोरी	1094	0.34	0.003	छोटे झाड़ की जंगल
179	जगदलपुर	बिलोरी	1095	1.34	0.008	छोटे झाड़ की जंगल
180	जगदलपुर	बिलोरी	1100	0.99	0.001	छोटे झाड़ की जंगल
181	जगदलपुर	बिलोरी	441	5.550	0.011	बड़े झाड़ की जंगल
182	जगदलपुर	बिलोरी	470	1.350	0.008	छोटे झाड़ की जंगल
183	जगदलपुर	बिलोरी	80	0.12	0.001	छोटे झाड़ की जंगल
184	जगदलपुर	बिलोरी	85	8.80	0.014	छोटे झाड़ की जंगल
185	जगदलपुर	बिलोरी	96	2.18	0.01	छोटे झाड़ की जंगल

186	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	87	0.45	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
187	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	272	0.17	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
188	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	286	5.46	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
189	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	1	72.49	0.004	बड़े झाड़ की जंगल
190	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	9	0.38	0.012	बड़े झाड़ की जंगल
191	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	33	16.91	0.012	बड़े झाड़ की जंगल
192	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	61	0.87	0.005	बड़े झाड़ की जंगल
193	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	19	12.35	0.019	छाँटे झाड़ की जंगल
194	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	235	1.75	0.011	छाँटे झाड़ की जंगल
195	जगदलपुर	बृहदवाङ्मयीमय	23/1	0.07	0.027	छाँटे झाड़ की जंगल
196	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	66	0.53	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
197	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	835	1.21	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
198	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	839	0.66	0.006	छाँटे झाड़ की जंगल
199	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	842	0.25	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
200	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	444	0.11	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
201	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	638	0.49	0.008	छाँटे झाड़ की जंगल
202	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	658	6.17	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
203	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	663/1	2.16	0.006	छाँटे झाड़ की जंगल
204	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	664	1.64	0.006	छाँटे झाड़ की जंगल
205	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	665	14.65	0.035	छाँटे झाड़ की जंगल
206	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	674	1.09	0.013	छाँटे झाड़ की जंगल
207	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	677	0.66	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
208	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	678	0.44	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
209	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	436/1	0.09	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
210	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	445/1	0.40	0.008	छाँटे झाड़ की जंगल
211	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	257	0.07	0.001	बड़े झाड़ की जंगल
212	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	258	0.12	0.002	बड़े झाड़ की जंगल
213	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	346	0.83	0.002	बड़े झाड़ की जंगल
214	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	580	0.78	0.004	बड़े झाड़ की जंगल
215	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	690	1.87	0.011	बड़े झाड़ की जंगल
216	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	700	4.84	0.007	बड़े झाड़ की जंगल
217	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	28	1.00	0.007	बड़े झाड़ की जंगल
218	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	30	6.76	0.004	बड़े झाड़ की जंगल
219	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	48	0.40	0.003	बड़े झाड़ की जंगल
220	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	495	0.140	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
221	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	496	0.510	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
222	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	783	0.690	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
223	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	861	0.710	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
224	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	862	1.160	0.012	छाँटे झाड़ की जंगल
225	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	915	0.050	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
226	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	968/1	0.862	0.015	छाँटे झाड़ की जंगल
227	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	72	3.87	0.012	छाँटे झाड़ की जंगल
228	जगदलपुर	छाँटे झाड़ की जंगल	73	6.21	0.015	छाँटे झाड़ की जंगल

229	गमदलपुर	हलधदमूर	348	0.04	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
230	गमदलपुर	हलधदमूर	349	0.04	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
231	गमदलपुर	हलधदमूर	350	0.10	0.002	छाँटे झाड़ की गंगल
232	गमदलपुर	हलधदमूर	354	0.51	0.002	छाँटे झाड़ की गंगल
233	गमदलपुर	हलधदमूर	383	0.30	0.006	छाँटे झाड़ की गंगल
234	गमदलपुर	हलधदमूर	403	0.44	0.011	छाँटे झाड़ की गंगल
235	गमदलपुर	हलधदमूर	405	0.41	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
236	गमदलपुर	हलधदमूर	408	0.13	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
237	गमदलपुर	हलधदमूर	409	0.14	0.002	छाँटे झाड़ की गंगल
238	गमदलपुर	हलधदमूर	412	0.36	0.004	छाँटे झाड़ की गंगल
239	गमदलपुर	हलधदमूर	413	0.13	0.002	छाँटे झाड़ की गंगल
240	गमदलपुर	हलधदमूर	414	2.42	0.003	छाँटे झाड़ की गंगल
241	गमदलपुर	हलधदमूर	417	1.75	0.006	छाँटे झाड़ की गंगल
242	गमदलपुर	हलधदमूर	424	0.06	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
243	गमदलपुर	हलधदमूर	425	0.06	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
244	गमदलपुर	गमवाड़ा	364	6.81	0.017	छाँटे झाड़ की गंगल
245	गमदलपुर	गमवाड़ा	371	3.09	0.003	छाँटे झाड़ की गंगल
246	गमदलपुर	गमवाड़ा	373	2.89	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
247	गमदलपुर	गमवाड़ा	458	12.25	0.002	छाँटे झाड़ की गंगल
248	गमदलपुर	गमवाड़ा	570	0.69	0.006	छाँटे झाड़ की गंगल
249	गमदलपुर	गमवाड़ा	571	7.15	0.015	बड़े झाड़ की गंगल
250	गमदलपुर	गमवाड़ा	577	8.74	0.008	छाँटे झाड़ की गंगल
251	गमदलपुर	गमवाड़ा	596	12.30	0.009	छाँटे झाड़ की गंगल
252	गमदलपुर	गमवाड़ा	610	6.31	0.024	छाँटे झाड़ की गंगल
253	गमदलपुर	गमवाड़ा	820	33.02	0.024	छाँटे झाड़ की गंगल
254	गमदलपुर	गमवाड़ा	884	3.18	0.007	छाँटे झाड़ की गंगल
255	गमदलपुर	गमवाड़ा	911	1.37	0.006	छाँटे झाड़ की गंगल
256	गमदलपुर	गमवाड़ा	928	0.11	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
257	गमदलपुर	गमवाड़ा	928	0.11	0.002	छाँटे झाड़ की गंगल
258	गमदलपुर	गमवाड़ा	932	0.43	0.001	छाँटे झाड़ की गंगल
259	गमदलपुर	गमवाड़ा	943	5.07	0.009	छाँटे झाड़ की गंगल
260	गमदलपुर	गमवाड़ा	115	0.59	0.003	छाँटे झाड़ की गंगल
261	गमदलपुर	गमवाड़ा	167	0.53	0.002	छाँटे झाड़ की गंगल
262	गमदलपुर	गमवाड़ा	326/1	0.22	0.007	छाँटे झाड़ की गंगल
263	गमदलपुर	गमवाड़ा	115	3.90	0.008	छाँटे झाड़ की गंगल
264	गमदलपुर	ककगढ़-धुखड़ा	2	1.29	0.006	बड़े झाड़ की गंगल
265	गमदलपुर	ककगढ़-धुखड़ा	13	1.31	0.005	छाँटे झाड़ की गंगल
266	गमदलपुर	ककगढ़-धुखड़ा	15	0.33	0.004	छाँटे झाड़ की गंगल
267	गमदलपुर	ककगढ़-धुखड़ा	546	0.16	0.007	छाँटे झाड़ की गंगल
268	गमदलपुर	ककगढ़-धुखड़ा	564	1.55	0.029	छाँटे झाड़ की गंगल
269	गमदलपुर	ककगढ़-धुखड़ा	265	0.59	0.005	छाँटे झाड़ की गंगल
270	गमदलपुर	ककगढ़-धुखड़ा	266	0.54	0.007	छाँटे झाड़ की गंगल
271	गमदलपुर	ककगढ़-धुखड़ा	272	6.06	0.01	छाँटे झाड़ की गंगल

272	भगदलपुर	काकरवाड़ा	273	0.62	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
273	भगदलपुर	काकरवाड़ा	328	0.20	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
274	भगदलपुर	काकरवाड़ा	361	0.94	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
275	भगदलपुर	काकरवाड़ा	464	1.04	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
276	भगदलपुर	काकरवाड़ा	465	1.50	0.007	छाँटे झाड़ की जंगल
277	भगदलपुर	कलघा	36	0.27	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
278	भगदलपुर	कलघा	83	0.26	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
279	भगदलपुर	कलघा	108	0.10	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
280	भगदलपुर	कलघा	110	0.45	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
281	भगदलपुर	कलघा	133	0.28	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
282	भगदलपुर	कलघा	186	0.13	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
283	भगदलपुर	कलघा	1096	0.79	0.007	छाँटे झाड़ की जंगल
284	भगदलपुर	कलघा	1097	0.41	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
285	भगदलपुर	कलघा	1142	0.77	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
286	भगदलपुर	कलघा	1164/1	0.76	0.012	छाँटे झाड़ की जंगल
287	भगदलपुर	कवालीकला	409	0.85	0.001	बड़े झाड़ की जंगल
288	भगदलपुर	कवालीकला	153	0.13	0.003	बड़े झाड़ की जंगल
289	भगदलपुर	कवालीकला	155	0.03	0.001	बड़े झाड़ की जंगल
290	भगदलपुर	कवालीकला	161	0.48	0.006	बड़े झाड़ की जंगल
291	भगदलपुर	कवालीकला	170	1.56	0.001	बड़े झाड़ की जंगल
292	भगदलपुर	कवालीकला	174	2.69	0.005	बड़े झाड़ की जंगल
293	भगदलपुर	कवालीकला	324	0.70	0.012	छाँटे झाड़ की जंगल
294	भगदलपुर	कवालीकला	399	2.64	0.009	बड़े झाड़ की जंगल
295	भगदलपुर	कवालीकला	442	7.91	0.007	बड़े झाड़ की जंगल
296	भगदलपुर	कवालीकला	449	4.75	0.001	बड़े झाड़ की जंगल
297	भगदलपुर	कवालीकला	482	4.31	0.016	छाँटे झाड़ की जंगल
298	भगदलपुर	कवालीकला	490	0.32	0.001	बड़े झाड़ की जंगल
299	भगदलपुर	कवालीकला	492	0.26	0.003	बड़े झाड़ की जंगल
300	भगदलपुर	कवालीकला	493	0.30	0.003	बड़े झाड़ की जंगल
301	भगदलपुर	कवालीकला	495	0.67	0.003	बड़े झाड़ की जंगल
302	भगदलपुर	कवालीकला	519	3.68	0.002	बड़े झाड़ की जंगल
303	भगदलपुर	खमारगढ़	314	0.15	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
304	भगदलपुर	खमारगढ़	315	0.18	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
305	भगदलपुर	कोल्हावल	114	1.270	0.01	छाँटे झाड़ की जंगल
306	भगदलपुर	कोल्हावल	164	0.06	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
307	भगदलपुर	कोल्हावल	174	0.17	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
308	भगदलपुर	कोल्हावल	176	0.23	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
309	भगदलपुर	कोल्हावल	185	0.35	0.009	छाँटे झाड़ की जंगल
310	भगदलपुर	कोल्हावल	196	0.68	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
311	भगदलपुर	कोल्हावल	393	0.04	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
312	भगदलपुर	कोल्हावल	394	0.09	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
313	भगदलपुर	माछवाल	598	0.12	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
314	भगदलपुर	माछवाल	599	0.10	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल

358	भगदलपुर	नीलानार	353	0.100	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
359	भगदलपुर	नीलानार	354	0.240	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
360	भगदलपुर	नीलानार	354	0.240	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
361	भगदलपुर	नियानार	48	0.97	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
362	भगदलपुर	नियानार	54	0.13	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
363	भगदलपुर	नियानार	99	0.44	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
364	भगदलपुर	नियानार	100	0.44	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
365	भगदलपुर	नियानार	393	0.57	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
366	भगदलपुर	नियानार	394	0.55	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
367	भगदलपुर	नियानार	437	0.32	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
368	भगदलपुर	नियानार	440	0.38	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
369	भगदलपुर	नियानार	628	0.36	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
370	भगदलपुर	नियानार	632	1.11	0.007	छाँटे झाड़ की जंगल
371	भगदलपुर	नियानार	765	0.24	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
372	भगदलपुर	नियानार	766	0.96	0.008	छाँटे झाड़ की जंगल
373	भगदलपुर	नियानार	843	0.65	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
374	भगदलपुर	नियानार	845	1.28	0.007	छाँटे झाड़ की जंगल
375	भगदलपुर	पट्टीपानी	337	0.39	0.005	बड़े झाड़ की जंगल
376	भगदलपुर	पट्टीपानी	380	3.76	0.011	छाँटे झाड़ की जंगल
377	भगदलपुर	पट्टीपानी	380	3.76	0.013	छाँटे झाड़ की जंगल
378	भगदलपुर	पट्टीपानी	384	0.72	0.016	छाँटे झाड़ की जंगल
379	भगदलपुर	पट्टीपानी	283	0.160	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
380	भगदलपुर	पट्टीपानी	325	0.050	0.004	छाँटे झाड़ की जंगल
381	भगदलपुर	पट्टीपानी	484	0.170	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
382	भगदलपुर	पट्टीपानी	50	0.51	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
383	भगदलपुर	पट्टीपानी	632	0.40	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
384	भगदलपुर	पट्टीपानी	641	0.45	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
385	भगदलपुर	साहूगुँ	748	9.55	0.018	बड़े झाड़ की जंगल
386	भगदलपुर	साहूगुँ	749	0.64	0.006	छाँटे झाड़ की जंगल
387	भगदलपुर	सिहगुँ	275	0.12	0.007	छाँटे झाड़ की जंगल
388	भगदलपुर	सिहगुँ	280	0.80	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
389	भगदलपुर	सिहगुँ	369	0.22	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
390	भगदलपुर	सिहगुँ	406	0.24	0.002	छाँटे झाड़ की जंगल
391	भगदलपुर	सिहगुँ	409	0.45	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
392	भगदलपुर	सिहगुँ	410	0.11	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
393	भगदलपुर	सिहगुँ	448	3.83	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
394	भगदलपुर	सिहगुँ	456	1.12	0.001	छाँटे झाड़ की जंगल
395	भगदलपुर	सिहगुँ	460	0.58	0.005	छाँटे झाड़ की जंगल
396	भगदलपुर	सिहगुँ	622	0.50	0.007	छाँटे झाड़ की जंगल
397	भगदलपुर	सिहगुँ	624	0.70	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
398	भगदलपुर	सिहगुँ	626	0.40	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
399	भगदलपुर	सिहगुँ	629	0.34	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल
400	भगदलपुर	सिहगुँ	630	0.27	0.003	छाँटे झाड़ की जंगल

कलकत्ता
विश्व विद्यालय

जाती है, जो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की संभव में विचिंतन वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।

अतएव प्रस्तावित भूमि का भू-वर्गानुकी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने के

प्रभावशील है।

है, जो कि वन भूमि श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980

द्वितीयक प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छीटे/बड़े झरू के जंगल मद में दर्ज

क्र.सं.	वर्ग	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
401	संरक्षित	141/1	1.457	0.02
402	संरक्षित	16	0.940	0.009
403	संरक्षित	33	2.580	0.005
404	संरक्षित	105	0.910	0.002
405	संरक्षित	122	0.290	0.002
406	संरक्षित	156	0.340	0.002
407	संरक्षित	171	0.400	0.002
408	संरक्षित	190	0.800	0.003
409	संरक्षित	508	0.05	0.001
410	संरक्षित	552	0.08	0.001
411	संरक्षित	625	0.29	0.002
412	संरक्षित	627	0.08	0.001
413	संरक्षित	697	0.52	0.008
414	संरक्षित	723	0.83	0.014
415	संरक्षित	696/1	0.08	0.006
416	संरक्षित	12	0.620	0.003
417	संरक्षित	15	0.950	0.003
418	संरक्षित	23	0.870	0.004
419	संरक्षित	33	0.630	0.003
420	संरक्षित	209	0.050	0.001
421	संरक्षित	210	0.960	0.015
422	संरक्षित	210	0.960	0.008
423	संरक्षित	253	0.200	0.006
424	संरक्षित	178	0.47	0.009
425	संरक्षित	192	0.53	0.004
426	संरक्षित	194	0.26	0.001
				2.474

पू0क0/क/रीडर/2019

जगदलपुर, दिनांक 13/11/2019

प्रतिनिधि :-

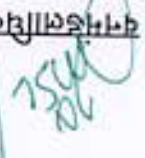
1. वन मण्डलाधिकारी, बरतन वन मंडल, जगदलपुर की और सादर सूचनाएं ।
2. श्री अजय नाथक, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर की सूचनाएं ।

कलेक्टर
रायपुर
जिला बरतन

पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यालयन अधिकांसी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (पि.एस.), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा वस्तर जिला के वस्तर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बकावण्ड एवं जगदलपुर ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के ऑर्टिकल फायवर केवल बिछाने हेतु अन्तर्गत प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.346 है. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य के लिए व्ययवर्तन प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42567/2019 दिनांक 17/12/2019 को आंवाटित किया गया है।

आवेदक से पंजीयन शुल्क रु. 6000.00 तथा प्रसंकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क रु. 18000.00 कुल राशि 24000.00 आइटी वी आइ बैंक के डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 031438 तथा 031442 दिनांक 17/10/2019 को वन मण्डल अधिकांसी वस्तर के नाम प्रस्तुत किया गया है। जिसे जिला कोषालय में बालान नम्बर 104 दिनांक 03/01/2020 द्वारा वन मण्डल अधिकांसी वस्तर के पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है।


वनमण्डल अधिकांसी
वस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभयारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन सहायक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा

एक लिस्ट क्रमांक - 21

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कायपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोर्टेक प्रमोशन सोसाइटी (पिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर जिला के बस्तर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बकावण्ड एवं जगदलपुर ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑटोमेटिकल फायवर केवल विछाने हेतु प्रभावित 5.872 है. वन्यप्राणि एवं 2.474 है. रायपुर वन्यप्राणि, कुल रकबा 8.346 है. वन्यप्राणि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, जो कांभर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है।

वनमंडल अधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर